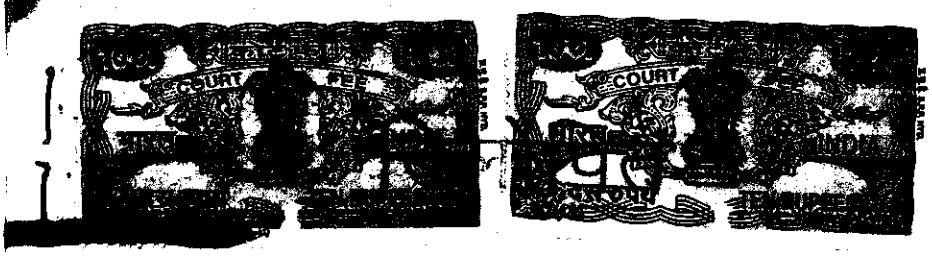

माननीय राजस्व मण्डल (रेवेन्यु बोर्ड) मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

R-3445-PBR/14

निगरानी याचिका कमांक .... / 2014
प्रस्तुति दिनांक

श्री गब्बूसिंह पिता मनीराम जाति कलौता
निवासी– ग्राम गूडर तहसील देपालपुर — प्रार्थीगण

विरूद्ध

1 श्री मदन पिता पेमाजी जाति कलौता
निवासी– ग्राम गूडर तहसील देपालपुर

2 श्री सीताराम पिता देवजी जाति कलौता
निवासी– ग्राम गूडर तहसील देपालपुर

3 श्री केशरसिंह पिता देवजी जाति कलौता
निवासी– ग्राम गूडर तहसील देपालपुर

4 श्री बाबू पिता देवजी जाति कलौता
निवासी– ग्राम गूडर तहसील देपालपुर — प्रत्यर्थीगण

श्री मनोज ... अभि. द्वारा आज दि. 20-10-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

M.K. Dewan (M.K. DEWAN) Ad.

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

प्रार्थीगण की ओर से सविनय सादर निवेदन है कि :–

प्रार्थीगण, वर्तमान निगरानी याचिका श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इंदौर म.प्र. द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 12 / 2014–2015 मे पारित आदेश दिनांक 14–10–2014, जिसके द्वारा माननीय विद्ववान न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील के साथ संलग्न आवेदन पत्र अतंगर्त धारा 52 म.प्र. भू राजस्व सहिंता का आवेदन पत्र प्रार्थी के पक्ष मे सुविधा का सतुंलन नही होना मानते हुए निरस्त किया गया है, से व्यथित होकर उपरोक्त निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत कि रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग 3445–पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–11–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 14–10–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की प्रति के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक की ओर तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 23–5–2012 के पालन में रास्ता खोले जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार द्वारा दिनांक 10–4–2014 को आदेश पारित कर रास्ता खोले जाने के आदेश दिये गये है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–9–2014 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रचलित अपील में स्थगन नहीं देने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने से आवेदक अपनी कृषि भूमि पर नहीं पहुँच पायेगा, जिससे फसल नष्ट होगी और उसे अपूर्णीय क्षति होगी । कारण	

तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–5–2012 को आदेश पारित किया गया है और उसके कियान्वयन हेतु आवेदक की ओर से 2 वर्ष पश्चात आवेदन दिया गया है, अतः आवेदक के पास वैकल्पिक मार्ग नहीं था तब दो वर्ष तक उनके द्वारा अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य किस प्रकार सम्पन्न किया गया और यदि कृषि कार्य किया जाना संभव नहीं था तब उनके द्वारा तत्समय ही रास्ता खुलवाये जाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष